राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड.,
जयपुर (फोन एवं फैक्स न. 0141–2719136)

क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./संस्था/परामर्शी/2021/3656–3660 दिनांकः–01.12.2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व 2013 के नियम 17 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परामर्शी सेवाएं अनुबन्ध पर लिए जाने हेतु राज्य लोक उपापन पोर्टल पर विज्ञप्ति क्रमांक प.6()/रा.सू.आ./संस्था./परामर्शी/2021/3531–33 दिनांक 18.11.2021 प्रदर्शित की गई थी। इस क्रम में प्राप्त आवेदनों में से चयन समिति ने श्री मुनेश कुमार सिंह, सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., जयपुर को 31 मार्च 2022 अथवा राज्य सरकार से आयोग में नियमित कार्मिक के पदस्थापन होने, जो भी पहले हो तक के लिए आयोग में अनुबन्ध पर उक्त विज्ञप्ति में दर्शाये अनुसार केयरटेकर संबंधी कार्यों के लिए परामर्शी हेतु चयन करने की अभिशंषा की है।

उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यार्थी की अनुबन्ध पर परामर्शी सेवाएं समेकित पारिश्रमिक रूपये 13400/– पर कार्यग्रहण करने की तिथि से लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन्हें एक कलेण्डर वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होगें एवं चयनित अभ्यार्थी को रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र आगामी 15 दिन में प्रस्तुत करना होगा। उक्त आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

Sd/-
(प्रियंका गोस्वामी)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, आयोग।
3. प्रोग्रामर उक्त आदेश को उपापन पोर्टल व आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. श्री मुनेश कुमार सिंह, परामर्शी
5. रक्षित पत्रावली

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर